

बिहार सरकार  
ग्रामीण कार्य विभाग

—कार्यालय आदेश—

कार्यालय नोटिफिकेशन नं. 345

पटना, दिनांक 30.6.25

संचिकाओं के निष्पादन के दौरान कई स्तरों पर काफी विलंब से संचिकाओं का उपस्थापन का मामला प्रकाश में आया है, जिसके कारण मामले के निष्पादन में अनावश्यक विलंब होता है तथा अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ता है। अतएव इस संबंध में संचिका के निष्पादन के क्रम में संचिका प्राप्ति एवं प्रेषण संबंधी मुहर बनाकर तिथि अंकित किये जाने की कार्रवाई आवश्यक हो जाता है, ताकि विलंब की स्थिति में जिम्मेवारी का निर्धारण किया जा सके।

2. अतएव उक्त निदेश का अनुपालन संचिका के उपस्थापन के सभी स्तरों (प्रशाखा पदाधिकारी एवं उससे उपर) पर करना सुनिश्चित किया जाय।
3. प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

(अभय झा)  
संयुक्त सचिव  
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :- 2/अ०प्र०-1-161/2023 6944 / पटना, दिनांक :- 30.6.25

प्रतिलिपि :- सभी विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव